वार्षिक रिपोर्ट 2010-2011

विषयवस्तु

1. नोटिस 2
2. प्रगति की एक झलक 14
3. निदेशकों की रिपोर्ट 2010-2011 15
   - प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण 16
   - केनरा बैंक 2010-2011 में 21
   - निदेशक मंडल में परिवर्तन 55
   - निदेशकों के दायित्व संबंधी वक्तव्य 57
   - धन्यवाद 58
4. कार्पोरेट गवर्नेन्स पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट 59
5. कार्पोरेट गवर्नेन्स पर लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र 82
6. स्टैण्ड अलोन वित्तीय विवरण 83
   - लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 84
   - तुलन पत्र 87
   - लाभ व हानि खाता 88
   - तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ 89
   - लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ 97
   - लेखा नीतियाँ 99
   - लेखा पर नोट 105
   - पिलर 3 (बासेल II) प्रकटन 144
   - नकद प्रवाह विवरण 177
7. समेकित वित्तीय विवरण 179
   - लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 180
   - समेकित तुलन पत्र 182
   - समेकित लाभ व हानि खाता 183
   - समेकित तुलन पत्र का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ 184
   - समेकित लाभ व हानि खाते का अंश बनने वाली अनुसूचियाँ 191
   - लेखा नीतियाँ 193
   - समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ 197
   - समेकित नकद प्रवाह विवरण 207
8. अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक द्वारा शेयरधारको को सम्बोधन 209
9. उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश पास 213
10. प्रॉक्सी फार्म 215

ANNUAL REPORT 2010-2011

CONTENTS

1. NOTICE 2
2. PROGRESS AT A GLANCE 14
3. DIRECTORS' REPORT 2010-2011 15
   - MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS 16
   - CANARA BANK IN 2010-2011 21
   - CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS 55
   - DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT 57
   - ACKNOWLEDGMENT 58
4. REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON CORPORATE GOVERNANCE 59
5. AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE 82
6. STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS 83
   - AUDITORS' REPORT 84
   - BALANCE SHEET 87
   - PROFIT AND LOSS ACCOUNT 88
   - SCHEDULES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET 89
   - SCHEDULES FORMING PART OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 97
   - ACCOUNTING POLICIES 99
   - NOTES ON ACCOUNTS 105
   - PILLAR 3 (BASEL II) DISCLOSURES 144
   - CASH FLOW STATEMENT 177
7. CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 179
   - AUDITORS' REPORT 180
   - CONSOLIDATED BALANCE SHEET 182
   - CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT 183
   - SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET 184
   - SCHEDULES FORMING PART OF THE CONSOLIDATED PROFIT AND LOSS ACCOUNT 191
   - ACCOUNTING POLICIES 193
   - NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 197
   - CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT 207
8. CHAIRMAN & MANAGING DIRECTORS' ADDRESS TO SHARE HOLDERS 209
9. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS 213
10. PROXY FORM 215

नोटिस

एतद्द्वारा नोटिस दी जाती है कि केनरा बैंक के शेयरधारकों की नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक **सोमवार 18 जुलाई, 2011 को अपराह्न 4.00 बजे चौडय्या मेमोरियल हाल, जी. डी. पार्क एक्स्टेंशन, वैयालिकावल, बेंगलूर - 560 003** में आयोजित की जाएगी जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है :

1. "यथा 31 मार्च 2011 को बैंक के लेखा परीक्षित तुलन पत्र, 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लाभ व हानि लेखा पर, तुलन पत्र व लेखा पर लेखा तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट द्वारा प्रावरित अवधि के लिए बैंक के कार्यों व क्रियाकलापों के संबंध में निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन व अंगीकृत करना "।
2. वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए लाभांश घोषित करना ।
3. निम्नांकित विशेष संकल्प पर विचार करना और यदि उचित पाया गया तो संशोधन सहित या रहित उसे पारित करना :

   "संकल्प किया जाता है कि " बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना) और केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (**"आर बी आई "**), भारत सरकार (**"जी ओ आई"**), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ("सेबी") और/या इस संबंध में अपेक्षित अन्य किसी प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और मंजूरी के अधीन एवं ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा निर्धारित ऐसी शर्तों और उन पर संशोधनों के अधीन और जिनसे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी और प्रासंगिक अन्य सभी प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों अर्थात् सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2009 (आई सी डी आर विनियमावली) /दिशानिर्देशों, यदि कोई हो, के अधीन बैंककारी विनियमन अधिनिमय 1949, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 और सभी अन्य लागू नियम तथा सभी संबद्ध प्राधिकारों के अधीन अधिसूचनाएं / परिपत्र और स्पष्टीकरण तथा उन स्टॉक एक्स्चेंजों के साथ किये गये सूचीकरण करार के अधीन, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयरों का सूचीकरण किया गया है, एतद्द्वारा बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के **निदेशक** मंडल (जिसे यहाँ इसके बाद "निदेशक मंडल" कहा जाएगा, जिस अभिव्यक्ति में , इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकार सहित अपने अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक/कों सहित गठित की गयी या आगे की जानेवाली कोई समिति भी शामिल है)

NOTICE

Notice is hereby given that the Ninth Annual General Meeting of the Shareholders of Canara Bank will be held on Monday, the 18th July 2011 at 4.00 P.M. at Chowdaiah Memorial Hall, G.D. Park Extension, Vyalikaval, Bangalore - 560 003, to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt the Audited Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2011, Profit & Loss account for the year ended 31st March 2011, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.
2. To declare dividend for the financial year 2010-11.
3. To consider and if thought fit, to pass with or without modifications the following special resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Act), The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (Scheme) and the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("RBI"), the Government of India **("GOI"),** the Securities and Exchange Board of India **("SEBI"),** and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the regulations viz., SEBI(Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (ICDR Regulations) / guidelines, if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called **"the Board"** which shall be deemed to include Chairman and Managing Director or any Executive Director/(s) or any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution)

को दी जाती है कि (इश्यू के ऐसे हिस्से को पक्का/प्रतिस्पर्धी आधार पर और यथा अनुमत व्यक्तियों की श्रेणियों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान सहित) प्रस्ताव के दस्तावेज / नियमावली अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के जरिए (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्मित दिशानिर्देशों के अनुसार सतत् या शोध्य या अशोध्य, ऐसे अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को, इस प्रकार के अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग को जारी किए जाने की सीमा को और उन शर्तो एवं निबंधनों जिनके अधीन अधिमान शेयरों के प्रत्येक वर्ग जारी किए जा सकते हैं, को विनिर्दिष्ट करते हुए) एक या अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीय (**"एन आर आई"**),कंपनियों, निजी या सार्वजनिक, निवेश संस्थाओं, सोसाइटियों, न्यासों, अनुसंधान संगठनों, अर्ह संस्थागत खरीदारों (**"क्यू आई बी"**) जैसे बैंक, वित्तीय संस्थाएं, भारतीय म्यूच्युअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, विदेशी वेंचर कैपिटल निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेन्शन फंडों, विकास वित्तीय संस्थाओं, विदेशी संस्थागत निवेशकों (**"एफ आई आई"**) या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों अथवा मौजूदा विनियमों/दिशानिदेर्शो के अनुसार बैंक के ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य श्रेणी के निवेशकर्ताओं या बैंक द्वारा उचित समझे गए तरीके से इनमे से किसी का मिश्रण हो, बाजार मूल्य पर बट्टा या प्रीमीयम सहिंत, भारत में या विदेश में प्रत्येक ₹10 के अंकित मूल्य के ईक्विटी /अधिमान शेयर (संचयी / गैर-संचयी / प्रतिभूतियां उतनी ही संख्या में प्रस्तावित, जारी और आबंटित करें जो किसी भी हालत में ₹255.70 करोड (दो सौ पचपन दशमलव सत्तर करोड रुपये मात्र) से ज्यादा न हो और समग्र रूप से ₹ 2557 करोड (रुपये दो हजार पाँच सौ सत्तावन करोड़) से अधिक न होते हो जो ₹443 करोड की मौजूदा प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के साथ ₹3000 करोड़ होते हों जो कि बैंकिग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम /1970 की धारा 3(2ए) के अनुसार बैंक की प्राधिकृत पूंजी की उच्चतम सीमा है या संशोधन (यदि कोई हो) के अनुसार वर्धित प्राधिकृत पूंजी की सीमा तक जो भविष्य में अधिनियम में इस प्रकार जोडी जा सके कि केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी समय बैंक की प्रदत्त ईक्विटी पूँजी का 51 % से कम धारित नहीं किया जाए ।

आगे संकल्प किया जाता है कि ऐसे इश्यू, प्रस्ताव या आबंटन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित सार्वजनिक इश्यू, साधिकार इश्यू , अधिमानी इश्यू और/या निजी प्लेसमेंट के जरिए होगा और ऐसा प्रस्ताव, इश्यू, प्लेसमेंट और आबंटन, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 के प्रावधानों, सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2009 (**''आई सी डी आर विनियमावली''**)

to offer, issue and allot (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity/preference shares (cumulative / non-cumulative) / securities (in accordance with the guidelines framed by RBI , specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares,whether perpetual or redeemable or irredeemable and the terms & conditions subject to which each class of preference shares may be issued) of the face value of ₹ 10 each and in any case not exceeding ₹ 255.70 Crores (Two Hundred and Fifty Five Crores and Seventy Lacs Only) and aggregating to not more than ₹ 2557 Crores (Rupees Two Thousand and Five Hundred Fifty Seven Crores) which together with the existing Paid-up Equity share capital of ₹443 Crores amounts to ₹3000 Crores, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per section 3 (2A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 or to the extent of enhanced Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, in such a way that the Central Govt. shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity capital of the Bank, whether at a discount or premium to the market price, in one or more tranches, including to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians **("NRIs"),** Companies, private or public, investment institutions, Societies, Trusts, Research organisations, Qualified Institutional Buyers **("QIBs")** like Foreign Institutional Investors **("FIIs")**, Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Venture Capital Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are authorized to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above as may be deemed appropriate by the Bank".

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by way of public issue, rights issue, preferential issue and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 **("ICDR Regulations")**

एवं भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी या अन्य किसी यथा लागू प्राधिकरण द्वारा जारी किए गये समस्त मार्गनिर्देशों, ऐसे समय पर और ऐसे तरीके और ऐसी शर्तों पर किया जाए जो निदेशक मंडल अपने पूरे विवेकाधिकार के तहत उचित समझे ।

आगे संकल्प किया जाता है कि जहाँ आवश्यक हो लीड प्रबंधक और / या हामीदार और अन्य सलाहकार से परामर्श करने के बाद या बोर्ड की ऐसी शर्तों व निबंधनों के अनुसार आई सी डी आर विनियमावली, अन्य नियमावली की शर्तों के अनुसार और अन्य सभी लागू नियम विनियमावली और दिशानिर्देश के अधीन ऐसे निवेशक, जो बैंक के विद्यमान सदस्य हो या न हो के लिए अपने संपूर्ण विवेक से मूल्य निर्धारित करने के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बोर्ड का होगा जो आई सी डी आर नियमावली की संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित मूल्य से कम मूल्य न हो ।

आगे संकल्प लिया जाता है कि तत्संबंधी स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीकरण के समझौते के प्रावधानों के अनुसार , बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, केनरा बैंक (शेयर और बैठकें) विनियमावली 2000 के प्रावधानों, आई सी डी आर नियमावली के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधानों व विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण या निर्गम) विनियमावली 2000 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी), स्टॉक एक्सचेंजों, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई), विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ आई पी बी), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय (डी आई पी पी) एवं इस संबंध में अपेक्षित अन्य सभी प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद से सामूहिक रुप से "समुचित प्राधिकारी " कहा जाएगा) के अपेक्षित अनुमोदन, सहमति , अनुमति और या/ मंजूरियों के अधीन एवं इनमें से किसी के भी द्वारा किसी भी ऐसे अनुमोदन , सहमति , अनुमति और / या मंजूरी (जिसे इसके बाद " अपेक्षित अनुमोदन " कहा जाएगा) आदि प्रदान करते समय इनमें से किसी के भी द्वारा इस प्रकार की निर्धारित शर्तों के अधीन बोर्ड अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के तहत एक या अधिक अंशों में, समय-समय पर अधिपत्रों को छोडकर ईक्विटी शेयर या अन्य प्रतिभूतियां जो बाद की तिथि में ईक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय या इसके साथ विनिमय योग्य हो, इस प्रकार जारी, प्रस्तुत या आबंटित कर सकता है कि पात्र संस्थागत नियोजन के अनुसरण में जैसा कि क्यू आई बी (आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII) के तहत व्यवस्था है, स्थान नियोजन दस्तावेज और / या अन्य किसी दस्तावेजों/प्रलेखों/परिपत्रों/ज्ञापनों के माध्यम से और इस तरीके से और इस प्रकार मूल्य, शर्तों और निबंधनों जैसा कि उस समय पर प्रचलित आई सी डी आर विनियमावली या कानूनों के किन्हीं प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया हो बशर्ते कि इस प्रकार जारी ईक्विटी शेयरों की किस्त को शामिल करते हुए मूल्य

and all other guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion ,think fit".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide, at such price or prices in such manner and where necessary in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors or otherwise on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of ICDR Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines whether or not such investor(s) are existing members of the Bank, at a price not less than the price as determined in accordance with relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Agreements entered into with relevant stock exchanges, the provisions of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the provisions of the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, the provisions of ICDR Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, and subject to requisite approvals ,consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges , Reserve Bank of India (RBI) , Foreign Investment Promotion Board (FIPB) , Department of Industrial Policy and Promotion ,Ministry of Commerce (DIPP) and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as "the Appropriate Authorities") and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval ,consent , permission, and/or sanction (hereinafter referred to as "the requisite approvals") the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date , in such a way that the Central Government at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to QIBs (as defined in Chapter VIII of the ICDR Regulations) pursuant to a qualified institutional placement, as provided for under Chapter VIII of the ICDR Regulations, through a placement document and / or such other documents/writings/circulars/memoranda and in such manner and on such price ,terms and conditions as may be determined by the Board in

आई सी डी आर विनियमावली के संबंधित प्रावधानों के अनुसार निर्णित मूल्य से कम न हो, पात्र संस्थागत खरीदारों (क्यू आई बी) (जैसा कि आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII ने परिभाषित है) की तुलना में केन्द्र सरकार किसी भी समय बैंक की ईक्विटी पूँजी का 51% प्रतिशत से कम धारित न करता हो।

आगे संकल्प किया जाता है कि पात्र संस्थागत स्थान नियोजन के मामले में, आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के अनुसरण में पात्र संस्थागत खरीदारों को ही प्रतिभूतियों का आबंटन होगा जो आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के आशय के दायरे में होगा और इस प्रकार की प्रतिभूतियाँ पूर्णत:प्रदत्त होंगी और इस संकल्प की तिथि से 12 माह के भीतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों का आबंटन पूरा कर लिया जाएगा।

आगे संकल्प किया जाता है कि क्यू आई पी के निर्गमन के मामले में प्रतिभूतियों के आधारित मूल्य निर्धारित करने की संबंधित तिथि आई सी डी आर विनियमावली के अनुसार होगी।

आगे संकल्प किया जाता है कि अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय और निदेशक मंडल द्वारा सहमत हुए अनुसार, भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक / सेबी / स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या अन्य समुचित प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किसी संशोधन को स्वीकार करने का निदेशक मंडल को प्राधिकार होगा।

आगे संकल्प किया जाता है कि अनिवासी भारतीयों / विदेशी निवेशक व्यक्तियों और या अन्य पात्र विदेशी निवेश को नए ईक्विटी शेयर / अधिमान्य शेयर / प्रतिभूतियों को जारी और आबंटित करना, यदि कोई हो, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन होगा जो अधिनियम के तहत निर्धारित समग्र सीमा के अंदर होगा।

आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किये जानेवाले उक्त नए ईक्विटी शेयर यथा संशोधित केनरा बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमावली 2000 के अधीन जारी किये जाएँगे और ये बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के साथ सभी दृष्टियों से समान होंगे और घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित किये जानेवाले किसी भी लाभांश के लिए पात्र होंगे।

आगे संकल्प किया जाता है कि किसी निर्गम को प्रभावी बनाने के लिए या ईक्विटी शेयर /अधिमान शेयर /प्रतिभूतियों को आवंटित करने के लिए सार्वजनिक प्रस्ताव की शर्तें निर्धारित करने हेतु जिसमें निवेशकों का वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियाँ आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किए जाने वाले शेयर /प्रतिभूतियों, निर्गम मूल्य, निर्गम पर

accordance with the ICDR Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at the time; provided the price inclusive of the premium of the equity shares so issued shall not be less than the price arrived in accordance with the relevant provisions of ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a qualified institutional placement pursuant to Chapter VIII of the ICDR Regulations, the allotment of Securities shall only be to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VIII of the ICDR Regulations ,such Securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 12 months from the date of this resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT in case of QIP issue the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the ICDR Regulations".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / preference shares/ securities if any, to NRIs, FIIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act".

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Canara Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended and shall rank in all respects pari passu with the existing equity shares of the Bank including dividend in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares / preference shares/securities , the Board ,be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each

किस्त की राशि जिन्हें बोर्ड अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत उचित समझे एवं इस प्रकार के कार्य, मामलें और चीजें और ऐसे विलेख, दस्तावेज व करार निष्पादित करने जिसे वे अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत आवश्यक , उचित या वांछित समझें तथा सार्वजनिक प्रस्ताव, निर्गम,आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में किसी प्रकार की सवाल, कठिनाई या संदेह जो उत्पन्न होता हो और ऐसे आशोधनों, बदलावों, भिन्नताओं,परिवर्तनों, उच्छेदन , संवर्धन, संबंधी शर्तो को प्रभावी बनाने के लिए जो कि वह अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन सर्वाधिक हित में उपयुक्त और समुचित समझे, सदस्यों से आगे बिना अन्य किसी अनुमोदन की अपेक्षा के इस संकल्प के द्वारा बैंक और बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग बोर्ड द्वारा किया जा सकता है ।

आगे संकल्प किया जाता है कि बोर्ड को किसी भी लीड प्रबंधकों/ बैकरों/ हामीदारों/ निक्षेपागारों एवं इस प्रकार की सभी एजेंसियों से जो इस प्रकार के इक्विटी/अधिमान शेयरों/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल या संबंधित हों, के साथ इस प्रकार के समझौते करने एवं इसके पूर्ण निष्पादन का तथा इस प्रकार की सभी संस्थाओं एवं एजेंसियों को कमीशन, दलाली, शुल्क या अन्य ऐसे द्वारा पारिश्रमिक देने तथा ऐसे एजेंसियों के साथ ऐसे सभी करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि निष्पादित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।

आगे संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को, बैंक द्वारा नियुक्त लीड प्रबंधक, हामीदार, सलाहकार और/या अन्य व्यक्तियों के साथ परामर्श करके, जिन निवेशकों को शेयर आबंटित किया जाना है उनके वर्ग, प्रत्येक श्रृंखला में आबंटित किये जानेवाले शेयर, निर्गम मूल्य (यदि कोई हो तो, प्रीमियम सहित), अंकित मूल्य, निर्गम पर किस्त की राशि / प्रतिभूतियों के रूपांतरण/अधिपत्रों का प्रयोग/ प्रतिभूतियों का शोधन, ब्याज की दर, शोधन अवधि, ईक्विटी शेयर/अधिमान शेयर या प्रतिभूतियों के रूपांतरण या शोधन या निरसन के बाद अन्य प्रतिभूतियों, निर्गम का मूल्य, किस्त या बट्टा/प्रतिभूतियों का रु पांतरण, ब्याज की दर, रूपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक पर बट्टा, रिकार्ड तारीख या बही समापन तथा संबंधित मामले, भारत में एक या अनेक स्टॉक एक्स्चेंजों में सूचीकरण सहित निदेशक मंडल अपने पूर्ण विवेकाधिकार के तहत जैसा उचित समझे, इश्यू के स्वरूप एवं शर्तों को निर्धारित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।

आगे संकल्प किया जाता है कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों/प्रतिभूतियों का, निदेशक मंडल द्वारा अपने संपूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाएगा, जो वह उचित समझे और विधि द्वारा अनुमत है ।

tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository (ies) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / preference shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees. or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies".

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares /preference shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and / or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit".

"RESOLVED FURTHER THAT such of these shares / securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law".

आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, मामले और चीज़ें करने , जिन्हें वे आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझें और ईक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों को जारी करने के संबंध में उत्पन्न होनेवाले किसी भी प्रश्न, कष्ट या शंका का समाधान करने के लिए है और आगे ऐसे सभी कार्य, मामले और चीज़ें करने तथा ऐसे सभी प्रलेख एवं लिखित को अंतिम रुप देने और निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जो शेयरधारकों की अतिरिक्त सहमति अथवा अनुमोदन माँगे बगैर उनके विवेकाधिकार के तहत ज़रूरी, वांछित एवं अनिवार्य समझे अथवा इस आशय से उनको प्राधिकृत किया जाता है कि इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा स्पष्ट रुप से अभिव्यक्त अनुसार शेयरधारकों ने अपना अनुमोदन दे दिया है, ऐसा माना जाएगा ।

आगे संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को, उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए इसके ज़रिए दिये गये सभी या किसी भी अधिकार को बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशक/कों की समिति को प्रत्यायोजित करने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है ।

निदेशक मंडल के आदेशों से

एस रामन
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

स्थान : बेंगलूर
दिनांक : 10.06.2011

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board, be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue, of the shares/ securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director or to the Executive Director/(s) or to Committee of Directors to give effect to the aforesaid Resolutions."

By Order of the Board of Directors

S RAMAN
Chairman And Managing Director

Place : Bangalore
Date : 10.06.2011

टिप्पणियाँ

1. **व्याख्यात्मक वक्तव्य :**
प्रदत्त पूँजी जुटाने के संबंध में नोटिस की मद संख्या 3 के बारे में वास्तविक तथ्यों को दर्शानेवाला व्याख्यात्मक वक्तव्य नीचे दिया गया है :-

2. **प्रतिनिधि की नियुक्ति :**
बैठक में भाग लेने व मतदान का अधिकार रखनेवाले शेयरधारक को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने व मतदान करने हेतु प्रतिनिधि की नियुक्ति करने का अधिकार है और ऐसा प्रतिनिधि बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है । प्रतिनिधित्व फॉर्म के प्रभावी होने के लिए उसे वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख की समाप्ति से कम से कम 4 दिन पहले अर्थात बुधवार, 13 जुलाई 2011 को या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा / दर्ज किया जाए ।

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुकित :**
बैंक के शेयरधारक कंपनी या अन्य किसी भी कॉर्पोरेट निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में बैठक में भाग लेने व मत देने का अधिकार किसी व्यक्ति को केवल तभी होगा जब उसे विधिवत् रुप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रुप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रति , जिस बैठक में व संकल्प पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत सत्य प्रतिलिपि के रूप में, बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् बुधवार, 13 जुलाई 2011 को या उस दिन के समाप्त होने से पहले बैंक के प्रधान कार्यालय में दर्ज की जाती है ।

4. **पंजीकरण :**
बैठक में भाग ले रहे शेयरधारकों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया बैठक सोमवार, 18 जुलाई, 2011 को अपराह्न 3.00 बजे से शुरु होगी। शेयरधारकों से अनुरोध है कि पंजीकरण औपचारिकताएं पूरी करने के लिए बैठक में समय से पूर्व उपस्थित रहें ।

5. **उपस्थिति पर्ची :**
शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची - सह प्रविष्टि पास को इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है । शेयरधारकों /प्रतिनिधित्वधारकों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इसे भरें व उसमें उपलब्ध कराए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करें व उसे उपरोक्त स्थान पर प्रस्तुत करें । शेयरधारकों के प्रतिनिधि / प्राधिकृत प्रतिनिधि पर " प्रतिनिधि " या "प्राधिकृत प्रतिनिधि " जैसा भी मामला हो उसका उल्लेख उपस्थिति पर्ची में करें । **शेयरधारक/ प्रोक्सिधारक/प्राधिकृत प्रतिनिधि नोट करें कि बैठक में प्रवेश, जहाँ आवश्यक हो, सत्यापन/जाँच के अधीन होगा और उन्हें सूचना दी जाती है कि वे अपने साथ पहचान के मान्य सबूत लाएं मसलन - मतदाता पहचान कार्ड/ नियोक्ता पहचान कार्ड/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि ।**

NOTES

1. **EXPLANATORY STATEMENT:**
The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of Item No. 3 of the Notice regarding Raising of paid up capital is annexed below.

2. **APPOINTMENT OF PROXY:**
A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy Form in order to be effective must be lodged at the Head Office of the Bank, at least Four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the 13th July 2011.

3. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:**
No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the 13th July 2011.

4. **REGISTRATION :**
In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 3 p.m. on Monday the 18th July 2011 at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

5. **ATTENDANCE SLIP:**
For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy Holders/Authorised Representative is requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein, and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. **Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license**

बैठक स्थान में प्रवेश की अनुमति केवल उपस्थिति वैध पर्ची - सह - प्रविष्टि पास के आधार पर दी जायेगी ।

6. शेयर अंतरणकर्ता एजेंटों के साथ संपर्क :

भौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि उनके पंजीकृत पते में कोई परिवर्तन हो तो वे उसकी सूचना बैंक के शेयर अंतरणकर्ता एजेंट को निम्नांकित पते पर दें ।

कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट : केनरा बैंक
" कार्वी हाऊस ", नं. 46, अवेन्यू IV स्ट्रीट नं. 1,
बंजारा हिल्स हैदराबाद - 500 034

आगे, शेयरधारकों को सूचित किया गया है कि वे अपना ई-मेल पता शेयर अंतरण एजेन्ट (उपर्युक्त पते पर) को या hosecretarial@canarabank.com में प्रका को सूचित / पंजीकृत करें ।

विभौतिक रूप में शेयर का धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि केवल अपने निक्षेपागार प्रतिभागियों को उपर्युक्त परिवर्तन सूचित करें ।

7. बहियों को बंद करना :

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियों को वार्षिक सामान्य बैठक तथा बैंक द्वारा घोषित चुनाव में भाग लेने एवं लाभांश की प्राप्ति के हकदार शेयरधारकों का निर्धारण करने हेतु 08.07.2011 से 18.07.2011 तक (दोनों दिन मिलाकर) बंद रखा जाएगा ।

8. लाभांश का भुगतान :

बैंक ने वर्ष 2010-11 के लिए 110% (प्रति ईक्विटी शेयर ₹11/-) लाभांश की सिफारिश की है । उन शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर/यथा गुरुवार, 07 जुलाई 2011 को एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी स्वामी हैं और यह लाभांश वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से 30 दिनों के अंदर भेजा जाएगा ।

9. फोलियों का समेकन :

उन शेयरधारकों से, जो नाम के समरूपी क्रम में एक से अधिक खातों में शेयर रखते हैं, अनुरोध है कि हमारे मेसर्स कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड को उन खातों की खाता बही के बारे में सूचित करें, साथ में शेयर प्रमाणपत्र भी दें ताकि बैंक द्वारा सभी होल्डिंग का एक खाते में समेकन किया जा सके ।आवश्यक पृष्ठांकन करने के बाद सदस्यों को यथासमय शेयर प्रमाणपत्र वापस किए जाएंगे ।

etc. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid Attendance Slip-cum-Entry Pass.

6. COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENTS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their Registered Addresses, to the Share Transfer Agents of the Bank at the following address:

Karvy Computershare Pvt. Ltd
Unit : Canara Bank
"Karvy House", No.46, Avenue IV Street No.1,
Banjara Hills, HYDERABAD 500 034

Further, the shareholders are advised to inform/ register their e-mail IDs either to the Share Transfer Agents (at the above address) to the Bank at **hosecretarial@canarabank.com**

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate the aforesaid changes / e-mail IDs only to their depository participants.

7. CLOSURE OF BOOKS:

The Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 08.07.2011 to 18.07.2011 (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of determining the shareholders entitled to participate in the election and receive the dividend, if declared by the Bank.

8. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board has recommended a dividend of 110% (₹ 11/- per equity share) for the year 2010-11. It has been decided to pay the dividend to the Shareholders whose names appear on the Register of Members / Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL as on Thursday, the 7th July 2011 and the same shall be dispatched / credited within 30days from the date of the Annual General Meeting.

9. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders who are holding shares in identical order of names in more than one account are requested to intimate Karvy Computershare Pvt. Ltd, the ledger folio of such accounts together with the share certificates to enable the Bank to consolidate all the holdings into one account. The share certificates will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

10. अदावी लाभांश, यदि कोई हो

जिन शेयरधारकों ने अपने लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं किया है/पिछली अवधियों का लाभांश प्राप्त नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे पूनर्मूल्यांकन/डूप्लिकेट लाभांश वारंट जारी करने के संबंध में बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें ।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 में नये रूप से अंतर्विष्ट धारा 10 बी के अनुसार सात साल से भुगतान न किये गये या दावा न किये गये लाभांश की रकम को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और उसके बाद बैंक या आईईपीएफ के नाम भुगतान के लिए कोई भी दावा नहीं किया जा सकता ।

11. वार्षिक रिपोर्ट :

शेयरधारक / प्रतिनिधित्वधारक / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक में आते समय वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ ले आएँ । कृपया नोट करें कि वार्षिक रिपोर्ट की पूर्ण प्रति बैंक के वेबसाइट (www.canarabank.com) में अपलोड किया गया हैं। शेयर धारकें रिपोर्ट कि पठनयोग्य वर्शन वेबसाइट से डाउनलोड करें।

12. ई-मेल पता पंजीकृत करके प्रलेख प्राप्त करना

कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय ने अपने परिपत्र 17/2011 दिनांक 21 अप्रैल 2011 और 18/2011 दिनांक 29/04/2011 के ज़रिए "कॉर्पोरेट अभिशासन में हरित पहल" का सूत्रपात किया है जिससे निकाय वार्षिक आम बैठक, लेखा परीक्षित वित्त विवरण, निदेशक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक रिपोर्ट आदि विद्यतानी रूप में ई-मेल पते पर प्रेषित कर सकता है

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डी.पी.खातों में ई-मेल पते पंजीकृत / नवीकरण करें ताकि भौतिक रूप के बजाय वे वार्षिक आम बैठक और वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल से प्राप्त कर सकें

तथापि इस वर्ष 9वीं वार्षिक आम बैठक और वित्त वर्ष 2010-11 के वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रति के साथ उपर्युक्त नोटिस और वार्षिक रिपोट की सॉफ्ट प्रति उन समस्त शेयरधारकों को प्रेषित करने का प्रबंध करेगा जिनके ई-मेल पते डी.पी. में उपलब्ध / पंजीकृत किये गये हैं

10. UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / received dividend of previous periods, are requested to contact the Share Transfer Agent of the Bank for revalidation / issue of duplicate dividend warrants.

As per the newly inserted Section 10B of the Banking Companies (Acquisitions and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under section 205C of the Companies Act, 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

11. ANNUAL REPORT:

Shareholders / Proxy holders / Authorized Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. Please note that the full copy of the Annual Report is uploaded on the website of the Bank (www.canarabank.com). Share holders may download the readable version of the same from the website.

12 RECEIVE DOCUMENTS THROUGH E-mail BY REGISTERING YOUR E-mail ADDRESS

The Ministry of Corporate Affairs has taken a "Green Initiative in the Corporate Governance" vide its circular nos. 17/2011 dated April 21, 2011 and 18/2011 dated April 29, 2011 which enables the entity to effect electronic delivery of documents including the Notice of Annual General Meeting, audited financial statements, Directors' Report, Auditors' Report, etc , in electronic form, to the e-mail address.

Shareholders are requested to register / update their e-mail addresses immediately in their respective DP Accounts so as to receive delivery of documents including Notice of AGM and Annual Report by e-mail instead of getting the same in physical mode.

However this year, along with the printed copy of Notice of 9th AGM and Annual Report for the financial year 2010-11, the Bank proposes to make arrangements to send the soft copy of the aforesaid Notice and Annual Report through e-mail to all those shareholders whose e-mail addresses were available/registered with DPs.